पत्रांक संख्या: 70/USDMA-79

5,

अपर मख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

। में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक,उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

स.डी.एम.ए. देहरादून दिनांक:25 /अप्रैल/2021

य:- कोविड-19 संकमण की दूसरी लहर की रोकथाम के सम्बन्ध में।

ोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संकमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को ते हुए संकमण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित किये जाते है:-

1 उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या- 68/USDMA-792(2020) दि अप्रैल, 2021 के बिन्दु संख्या-01 के कम में सामाजिक आयोजनों यथा विवाह इत्यादि व्यक्तियों की संख्या-50 से अधिक नहीं होगी।

2 जनपदों की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त जिलाधिकारी अपने विवेकानुस जनपदों में कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होगें। सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बा संचालित रहें।

3 जिन व्यक्तियों द्वारा स्वंय का RT-PCR टैस्ट कराया गया है, वे रिपोंट आने तक स्वंय व करेगें तथा व MoHFW, MHA व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों (SOP/Guidelines) का सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु र्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

या एंव दिनांक उपरोक्तानुसार:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3 निजी सचिव, मा0 मंत्री आपदा प्रबन्धन।
4 सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5 महाधिवक्ता, मा. उच्च न्यालय, नैनीताल।
6 सचिव, गोपन (मंत्री परिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8 स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9 सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से